संख्या-200/2016/आर-5471/26-3-2016-रिट(2)/2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 नवम्बर 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-14718/2016 श्री सचिन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्देशों के क्रम में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष सी0पी0एल0 छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित छात्र श्री सचिन कुमार को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3140/स.क./शिक्षा-अ/सी.पी.एल.2016-17, दिनांक-27.10.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण हेतु चयनित छात्र श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सतीश चन्द्र निवासी-जनपद-मैनपुरी को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि रूपया-33,00,000/-(रूपया तैतिस लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 33 प्रतिशत धनराशि रूपया-10.89 लाख (रूपया दस लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में संचालित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निर्वतन पर रखी गयी हैं, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक-13.08.2015 में दिये गये निर्देशो के क्रम में सम्बन्धित छात्र को तृतीय किश्त के रूप में 34 प्रतिशत की शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित छात्र द्वारा 200 घंटे का फ्लांइग प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-200/2016/आर-5471(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in